महत्वपूर्ण

पत्र सं0- 8/2026/बी-1-1196/दस-2026

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
वित्त एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 30 अप्रैल, 2026

विषयः SNA-SPARSH 2.0 का क्रियान्वयन ।

महोदय,

कृपया वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-19/2025/बी-1-1622/दस-2025 दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 सपठित शासनादेश संख्या-7/2026/बी-1-1022/दस-2026 दिनांक 10 अप्रैल, 2026 का संदर्भ ग्रहण करें। जैसा उपरोक्त शासनादेश दिनांक 10 अप्रैल, 2026 में उल्लिखित है, "दिनांक 01 मई, 2026 से SNA-SPARSH के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत, इम्प्लीमेटिंग ऐजेन्सीज द्वारा सृजित बिल SNA को अग्रेषित किये जाने के स्थान पर, जनपदीय कोषागारों को अग्रेषित किये जायेंगे"।

2- संदर्भगत विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 मई, 2026 से SNA-SPARSH के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत फण्ड-फ्लो एवं लाभार्थियों को भुगतान हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी-

(क) <u>बेनीफिशियरी क्रिएशन</u>:

(1) SNA-SPARSH में पूर्व में सृजित हो चुके लाभार्थियों को योजना तथा जनपद के आहरण एवं वितरण अधिकारी के साथ मैप करने की सुविधा SNA-SPARSH 2.0 में उपलब्ध है।

(2) नये लाभार्थियों को "Account validation utility" का उपयोग करते हुए सृजित करने की कार्यवाही इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सी द्वारा की जायेगी जिसका अनुमोदन जनपदीय एडमिन द्वारा किया जायेगा जिसे डी0डी0ओ0 पोर्टल पर सम्बंधित जनपद के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा "Accept" किया जायेगा।

(ख) <u>वित्तीय स्वीकृति</u>:

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 शासनादेश संख्या- 11/2025/बी-1-1061/दस-2025 दिनांक 26 सितम्बर, 2025 के प्रस्तर 3(क) में दी गयी प्रक्रियानुसार वित्तीय स्वीकृति एवं लिमिट आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि दिनांक 01 मई, 2026 के पूर्व किसी केन्द्र प्रयोजित योजना हेतु Mother Sanction केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत की गयी और SNA-SPARSH की निवर्तमान प्रक्रियानुसार लिमिट आवंटत एवं भुगतान की कार्यवाही कर दी गयी है, तो दिनांक 01 मई, 2026 को उस योजना हेतु अवशेष लिमिट आवंटत को reverse कर SNA स्तर से पुन: नये मॉडयूल के माध्यम से लिमिट आवंटन किया जायेगा। दिनांक 01 मई, 2026 से लागू नई व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति संबंधी आदेश की प्रतिलिपि विभागाध्यक्ष से संबंधित कोषागार को प्रेषित की जाएगी।

(ग) SNA-SPARSH 2.0 के माध्यम से भुगतान:

(1) इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी द्वारा SNA-SPARSH 2.0 मॉडयूल में बिल जनरेट कर जनपद स्तरीय एडमिन को अग्रेषित किये जायेंगे। एडमिन स्तर पर प्राप्त बिलों का समेकन किया जायेगा। समेकित बिल की धनराशि के भुगतान हेतु संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृति ओदश निर्गत किया जायेगा समेकित बिल एवं भुगतान आदेश एडमिन द्वारा SNA SPARSH पोर्टल पर अपलोड कर DDO पोर्टल पर आहरण एवं वितरण अधिकारी को अग्रेषित किये जायेंगे। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा समेकित बिल के साथ भुगतानादेश जनपद के कोषागार को अग्रेषित कर दिया जायेगा।

(2) SNA-SPARSH 2.0 के अन्तर्गत भुगतान हेतु बिल जनरेट करने वाली इकाई (इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी) द्वारा मूल वाऊचर्स अपने अभिलेखों में शासनादेश दिनाँक 10 जुलाई, 2025 की व्यवस्थानुसार सुरक्षित रखे जायेंगे तथा बिल के साथ केवल भुगतानादेश अपलोड किया जायेगा।

(3) शासनादेश संख्या-11/2025/बी-1-1061/दस-2025 दिनांक 26 सितम्बर, 2025 द्वारा परिचालित भारत सरकार के व्यय विभाग के पत्रांक- OM No-1-126/6/2024-ITD-CGA/64 दिनाँक 28.07.2025 में दिये गये निर्देशानुसार विभिन्न कटौतियों के संबंध में कार्यवाही की जाएगी। भारत सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञाप में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन वैधानिक कटौतियों के संबंध में कोषागार प्रणाली में व्यवस्था है, वहां कोषागार प्रणाली की व्यवस्था के अनुसार ही कटौतियों के संबंध में कार्यवाही की जाएगी।

(4) कोषागार को ऑनलाइन बिल अग्रेषित करने के साथ ही बिल का प्रिंट आउट (फॉर्म 103) जिस पर आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं एडमिन के प्रतिहस्ताक्षर हों, यथावश्यकता GST एवं income tax चालान सहित कोषागार को प्रेषित किया जायेगा।

(5) किसी योजना से संबंधित बिल्स विभिन्न कोषागारों द्वारा पारित कर दिए जाने पर उनकी समेकित "ई-क्लेम फाइल" प्रदेश के IFMS के सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से पी0 एफ0 एम0 एस0 को अग्रेषित कर दी जाएगी।

(6) पी0 एफ0 एम0 एस0 पर प्रस्तुत उपरोक्त समेकित "ई-क्लेम फाइल" मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिये जाने पर केन्द्रांश की राशि, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर मे खुले योजना के "ड्रॉइंग अकाउन्ट" में अन्तरित हो जायेगी तथा राज्यांश की राशि राज्य के समेकित खाते से डेबिट हो, केन्द्रांश एवं राज्यांश सहित लाभार्थियों को देय धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित हो जायेगी।

(घ) अग्रिम भुगतान

SNA SPARSH प्रणाली फण्ड फ्लो के "Just in time approach" पर आधारित है। अतः इस प्रणाली के अन्तर्गत किसी बैंक खाते अथवा वैयक्तिक खाते में धनराशि अंतरित नहीं की जानी है। अतः इस प्रणाली में समस्त भुगतान सीधे बेनीफिशियरी / वेंडर को ही किये जायेंगे तथा किसी भी धनराशि का भुगतान किसी भी Intermediary के खाते में अग्रिम रूप से नहीं किया जायेगा परन्तु यदि किसी योजना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अग्रिम भुगतान की अनुमति दी गयी है, तो ऐसे मामलों में अग्रिम भुगतान की अनुमति होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

इसके अतिरिक्त , वित्त आय व्ययक अनुभाग -1 के शासनादेश संख्या -14 /2025/बी-1-1110/दस -2025 दिनांक 14 अक्टूबर,2025 तथा शासनादेश संख्या 15 /2025/बी-1-1383/दस -2025 दिनांक 07 नवंबर,2025 में दी गयी व्यवस्थानुसार भी अग्रिम भुगतान किये जा सकते हैं।

3- सम्बन्धित विभाग यह सुनिश्चित करेंगें कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत अनुमन्य बेनीफिशियरी/ वेण्डर को परियोजनाओं की गाइडलाइन्स के अनुसार अनुमन्यता/देयता होने पर ही भुगतान किया जा रहा है। भुगतान की शुद्धता एवं भुगतानप्राप्तकर्ता (बेनीफिशियरी/वेंडर) की पात्रता व Credentials सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी के एडमिन का होगा।

एस0एन0ए0-स्पर्श के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजनओं में हो रहे भुगतान हेतु बेनीफिशियरी /वेण्डर के बैंक खातों के विवरण एवं उन्हें भुगतान की पात्रता के सम्बंध में कोई परीक्षण कोषागार के स्तर पर नहीं किया जाएगा। बिल में धनराशियों एवं लाभार्थी/वेण्डर के विवरण शुद्ध रूप से भरे जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग की इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सी के एडमिन का होगा। किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण विवरण के कारण हुए अनियमित/अशुद्ध भुगतान के प्रति कोषागार की किसी भी प्रकार की जवाबदेही नहीं होगी।

प्रत्येक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किये गए बिलों की प्रस्थिति (status) उसके "लॉगिन (login)" पर उपलब्ध होगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव ।

पत्र सं0-8/2026/बी-1-1196 (1)/दस-2026, तद्दिनाँक :-

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।